भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2754

(जिसका उत्तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018 को दिया गया)

कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले

2754. श्री हुसैन दलवई :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2014 के बाद से जानकारी में आए कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्रॉल एनुअल ग्लोबल फ्रॉड एंड रिस्क रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार, 2017 में कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार धोखाधड़ी और चोरी के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): अपेक्षित सूचना अनुलग्नक-क पर दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार ने कारपोरेट कपट के मामलों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) 'कपट' को कंपनी अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) उक्त अधिनियम के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सांविधिक दर्जा दिया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कारपोरेट शासन के लिए कड़े मानदंड विहित किए गए हैं।

(iv) डाटा विश्लेषण, निगरानी और फॉरेंसिक आदि के माध्यम से कपट का पहले से पता लगाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 20.03.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2754 के उत्तर (क) और (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनियों के कपट संबंधी मामलों, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच के आदेश दिए गए और एसएफआईओ द्वारा जांच की गई/की जानी है, का राज्यवार और वर्ष वार विवरण :

राज्य	**वित्त वर्ष**				
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (वर्तमान वर्ष, 01.03.2018 तक)**	**कुल**
असम	-	6	-	-	6
आंध्र प्रदेश	-	-	3	5	8
बिहार	2	-	2	2	6
चंडीगढ़	-	-	12	1	13
दिल्ली	15	89	29	34	167
गुजरात	-	1	6	4	11
हरियाणा	-	10	-	-	10
जम्मू	-	-	-	1	1
झारखंड	2	-	1	-	3
कर्नाटक	-	-	3	6	9
केरल	-	-	1	-	1
महाराष्ट्र	5	20	23	109	157
मेघालय	-	-	2	-	2
ओडिशा	18	8	1	5	32
पंजाब	-	3	1	-	4
राजस्थान	-	2	1	1	4
तमिलनाडु	-	1	2	4	7
उत्तर प्रदेश	-	10	2	16	28
उत्तराखंड	-	2	-	-	2
पश्चिम बंगाल	29	32	22	21	104
कुल	**71**	**184**	**111**	**209**	**575**

*****